कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-budgethodpwd@gmail.com

पत्रांकः– 169 /63 लेखा /2018–19 दिनांकः– 21 .06.2018

"कार्यालय ज्ञाप"

प्रायः देखा जा रहा है कि लोक निर्माण विभाग के खण्डो में प्रकीर्ण अग्रिम लेखे में विभिन्न अधिकारियो/कार्मिको/फर्मो/ठेकेदारों/संस्थाओ के नाम विगत कई वर्षो से प्रकीर्ण अग्रिम लम्बित चले आ रहे है, जिसके समयबद्व समायोजन हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओ/उत्तरदायी खण्डीय अधिकारियो द्वारा प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित नही की जा रही है, जिसके फलस्वरूप जहॉ एक ओर शासकीय धनराशि का समायोजन सम्भव नही हो पा रहा है, वही दूसरी ओर प्रकीर्ण अग्रिम में सम्बन्धित पक्षो के नाम लम्बे समय तक धनराशि असमायोजित रहने के कारण लेखा आपत्तियॉ यथा ए0आई0आर0, ड्राफ्ट प्रस्तर तथा पी0ए0सी0 प्रस्तर सृजित होने के साथ–साथ लेखा नियमो के अनुपालन में भी कठिनाईयॉ उत्पन्न हो रही है।

उपर्युक्त स्थितियो के दृष्टिगत खण्डो में प्रकीर्ण अग्रिम में विगत वर्षो से असमायोजित धनराशि के उच्च प्राथमिकता के आधार पर समायोजन हेतु निम्नानुसार आवश्यक प्रकिया/कार्ययोजना निर्धारित की जाती है।

- विभाग में कार्यरत अधिकारियो/कार्मिको को यात्रा अवकाश एवं स्थानान्तरण यात्रा अवकाश हेतु विशेष परिस्थितियो में ही अग्रिम धनराशि स्वीकृत की जाय तथा तद्क्रम सम्बन्धित अधिकारियो/कार्मिको के नाम प्रकीर्ण अग्रिम में पड़ी धनराशि का समायोजन सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारियो द्वारा उसी त्रैमास के अन्तर्गत यथा सम्भव एवं उसी वित्तीय वर्ष में अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु यात्रा भत्ता/स्थानान्तरण यात्रा भत्ता मद में आवंटन की मॉग तत्काल प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय को सूचित कराते हुये सम्बन्धित मदो में खण्ड को प्राप्त आवंटन के विरूद्व प्रकीर्ण अग्रिम में असमायोजित धनराशि के समायोजन की कार्यवाही प्रथमतः/उच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जायेगी, अन्यथा सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारियो/अधिशासी अभियन्ताओ के वार्षिक गोपनीय आख्या में प्रविष्टि हेतु असमायोजित प्रकीर्ण अग्रिम आधार माना जायेगा।
- विभिन्न ठेकेदारो/फर्मो/संस्थाओ के नाम प्रकीर्ण अग्रिम में असमायोजित धनराशि के तात्कालिक समायोजन की कार्यवाही सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओ/खण्डीय अधिकारियो द्वारा उनके खण्ड में जमा धरोहर धनराशि एवं अनुबन्धित कार्यो के भुगतान से नियमानुसार उच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जायेगी, यदि किन्ही कारणो से सम्बन्धित खण्ड में ठेकेदार/फर्मो की किसी प्रकार की देयता अवशेष न हो तो प्रकीर्ण अग्रिम में असमायोजित धनराशि की वसूली हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं खण्डीय अधिकारियो द्वारा प्रकरण के सापेक्ष समयबद्व वसूली की सूचना का अनुरोध जनपद/क्षेत्रीय/प्रदेश स्तरीय लो0नि0वि0 के अन्य खण्डो को सर्कुलेट की जायेगी तथा प्रकीर्ण अग्रिम में असमायोजित धनराशि की वसूली/समायोजन तक निरन्तर प्रभावी अनुश्रवण की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी।
- ठेकेदारो/फर्मो/संस्थाओ को दिये गये अग्रिम के समायोजन हेतु अनुबन्ध की शर्तो/गठित एम0ओ0यू0 की शर्तो के अनुसार समयबद्व व प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

क्रमशः पृष्ठ संख्या–2 पर

- मथुरा रिफानरी इत्यादि से प्राप्त की जानी वाली सामग्री यथा बिटुमिन, कोल्ड इमल्शन इत्यादि के क्रय हेतु दिया गया प्रकीर्ण अग्रिम के समायोजन की समीक्षा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा निरन्तर रूप से किया जायेगा, प्रत्येक दशा में तीन माह के भीतर प्रकीर्ण अग्रिम का समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा।

- विटुमिन/कोल्ड इमल्शन के इतर अन्य निर्माण सामग्री के क्रय हेतु यदि अग्रिम दिया जाना अपरिहार्य हो तो पूर्ण औचित्य के साथ उसकी पूर्वानुमति सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता से प्राप्त कर ली जाय। इस प्रकरण में भी तीन माह के भीतर प्रकीर्ण अग्रिम का समायोजन किया जाना आवश्यक होगा।

- खण्डो/कार्यालयो में लम्बित प्रकीर्ण अग्रिम के समायोजन/वसूली की जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओ/आहरण–वितरण अधिकारियो की होगी, जिसकी समीक्षा सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओ एवं मुख्य अभियन्ताओ द्वारा भी त्रैमासिक रूप से निरन्तर सुनिश्चित की जायेगी।

उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन समस्त अधिशासी अभियन्ताओ/अधीक्षण अभियन्ताओ/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओ द्वारा त्वरित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

ह0/-
(इं0 आर0सी0 पुरोहित)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन, को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं असमायोजित प्रकीर्ण अग्रिम की वसूली की तात्कालिक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषितः–

(1) मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय लोक निर्माण विभाग देहरादून।

(2) वित्त नियंत्रक प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय लोक निर्माण विभाग देहरादून।

(3) समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर–।/स्तर–।।, क्षेत्रीय कार्यालय/राष्ट्रीय राजमार्ग/ए0डी0बी0 कार्यालय लोक निर्माण विभाग ..... उत्तराखण्ड।

(4) समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/राष्ट्रीय राजमार्ग/वि0यॉ0/ए0डी0बी वृत्त लोक निर्माण विभाग ..... उत्तराखण्ड।

(5) समस्त अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई/वि0यॉ0/राष्ट्रीय राजमार्ग/ए0डी0बी खण्ड लोक निर्माण विभाग ..... उत्तराखण्ड।

6- अधि॰ अभि॰ I.T.

ह0/-
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
21/8/18